

## MOST IMPORTANT TERMS AND CONDITIONS (MITC) GOVERNING ISSUANCE AND USAGE OF CSB DEBIT CARD

## (A) FEES AND CHARGES (EXCLUDING GST)

CARD VARIANT	JOINING FEES	AMC*	ADD-ON CARD #
VISA Classic	Nil	₹250/-	₹300/-
VISA Platinum	Nil	₹500/-	₹300/-
VISA Signature	Nil	₹900/-	₹300/-
RuPay PMJDY	Nil	Nil	₹300/-
RuPay Classic	Nil	₹250/-	₹300/-
RuPay Platinum	Nil	₹500/-	₹300/-
Senior Citizen Debit Card	Nil	₹500/-	₹300/-
Women Power Debit Card	Nil	₹500/-	₹300/-
Salary Debit Card [HV]	Nil	₹500/-	₹300/-
Platinum Max Debit Card	Nil	₹900/-	₹300/-

Cash withdrawal limits are applicable as per Account Variants and are subjected to change. For current limits please refer - https://www.csb.co.in/service-charges-and-fees

OTHER CHARGE DESCRIPTION - PER TRANSACTION/REQUEST	AMOUNT
Financial Transaction above Free Limits^	₹21/-
Non-Financial Transaction above Free Limits^	₹10/-
Declined ATM Cash W/d Txn Due to Insufficient Funds in Customer A/c	₹25/-
Issue of Duplicate ATM Card*	₹300/-
Duplicate ATM Pin Mailer	₹100/-
International Cash Withdrawal	₹150/-
International Balance Enquiry	₹25/-

^Free limits are based on account variants \*AMC/Duplicate Card Charge is NIL/discounted for certain Account Variants as determined by the Bank from time to time. #Add-On Cards are available only for specific account segment. For more details refer latest Debit Card-Account Variant matrix here - https://www.csb.co.in/service-charges-and-fees

#### (B) CONTACT

- Head Office Address: CSB Bank Ltd., CSB Bhavan, P.O Box No. 502, St. Mary's College Road, Thrissur -680 020, Email ID: branchservice@csb.co.in
- For ATM related queries: Anywhere in India: 1800 266 9090 (toll free) Outside India: +91-422-6612300 (ISD charges applicable) Email: customercare@csb.co.in

#### (C) FOR SURRENDER/CLOSURE/BLOCKING/LOSS/THEFT/MISUSE OF DEBIT CARD

- Customer Care 24x7: Anywhere in India: 1800 266 9090 (toll free) Outside India: +91- 422-6612300 (ISD charges applicable) Email: customercare@csb.co.in
- Any nearest CSB Branch

#### (D) LIABILITY OF CARDHOLDER

A customer shall be liable for the loss occurring due to un-authorized transactions in the following cases;

- Where the loss is due to negligence by customer, such as, where he/she has shared the payment credentials, the customer shall bear the entire loss until he/she reports the un-authorized EBT to the bank.
- In cases where the responsibility for the un-authorized Electronic Banking Transaction lies neither with the bank nor with the customer, but lies elsewhere in the system and when there is a delay (of 4 to 7 working days after receiving the communication from the bank) on the part of the customer in notifying the bank of such a transaction.
- The bank will undertake all necessary care as practically possible to ensure the secrecy of the PIN during issuance and under no circumstances shall the bank or any of its representative disclose the PIN to anyone other than the cardholder.

# (E) GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM / COMPLAINTS AND REPORTING OF FAILED/UNAUTHORISED TRANSACTIONS

• For detailed list of grievance redressal points and contact details please visit https://www.csb.co.in/complaints-redressal

- Timeline for redressal of grievances RBI Circular DPSS.CO.PD No.629/02.01.014/2019- 20 dated 20.09.2019 is followed for complaint redressal. All debit card transactions handled and settled within the TAT of T+5 days as per the guideline of above RBI Circular.
- Compensation for delay in redressal of grievance Compensation of Rs.100 per day is paid for all the transactions settled after T+5 as per RBI circular

#### (F) INSURANCE COVERAGE

Any insurance coverage is provided by the card network and is governed by the respective card network terms and conditions. For more details please visit https://www.csb.co.in/csb-debit-cards

#### (G) DISCLOSURE

Data collected with respect to the issuance/usage of debit cards are not shared with any third party or persons by the bank or its officials without prior consent of the customer.

## Terms and Conditions Governing Issue and Use of CSB Bank DEBIT CARD

- 1. Meaning of certain terms:
- 1.1. The term "Bank" refers to "CSB Bank Limited", Debit Card herein after referred to as CARD refers to the cards issued by the Bank to an approved account holder including an "ADD ON CARD" (more specifically mentioned under para 13) for accessing the ATM/CRM machine/tCard terminals, and the term "Card Holder" refers to the user of Debit Card as authorized by the Bank.
- 1.2. ATM/CRMs include Automated Teller Machines (ATMs), Cash Recycler Machines (CRMs) of the Bank and ATM/CRMs belonging to other banks that are participating in the shared payment network of Card Association and display the Card Association's logo, member Banks of National Financial Switch (NFS) Network Displaying 'Card Association' logo and other member banks of other Shared Payment Network System (SPNS) and all future tie-up which the Bank may have with any other Bank(s) or any international or national shared payment network system.
- 1.3. Participating Merchant Establishments (PME) shall mean establishments that are part of the Card Association shared payment network and display the "Card Association" logo to honour the card on the Card Association terminals by terms for performing transactions and shall include, among others, stores, shops, restaurants, hotels, airlines and organizations advertised as honouring the CARD.
- 1.4. "Card Association terminal" includes all software; peripherals and accessories at the location of Participating Merchant Establishments (PME) required to run the devices for processing the transactions of the Card Holder and includes Electronic Data Capture (EDC) terminals, printers, Personal Identification Number (PIN) pads, etc.
- 1.5. National Financial Switch (NFS) comprises a National Switch to facilitate connectivity between the Bank's Switches & their ATMs and inter-bank payment gateway for authentication & routing of the payment details of various e-commerce transactions, e-government activities, etc.
- 1.6. Shared Payment Network System (SPNS) a large network of ATMs, Cash Dispensers belonging to different banks spread all over the country. The objective behind forming the Shared Payment Network System is to provide 24 hours, 365 days/ year electronic banking service to the customer anywhere in the country through a state of the art electronic fund transfer system to be shared by different participating banks.
- 1.7. Electronic Data Capture (EDC) Terminal: A point-of-sale device that reads information encoded in the bankcard's magnetic stripe. Performs authorization functions, stores transaction data, and batches and transmits that data to the capturer for processing. The stored transactions are used to create settlement files and transaction reports.
- 1.8. Point of Sale (PoS) Terminals: PoS electronic terminals at an ME in India or abroad, capable of processing Card transactions and at which the Cardholder can use Card to make purchases by debiting his associated account with the Bank.
  - 1.9. Add-on Card: this is a Card that is subsidiary to the Main Card. However, the liability falls on the principal Cardholder.
- 1.10. Basic Travel Quota (BTQ) is the scheme wherein foreign exchange is issued to the residents who wish to undertake foreign travel.
  - 2. Statutory and Mandatory Restrictions
- 2.1. The issue and usage of the CARD shall be subject to Reserve Bank of India (RBI) regulations, Foreign Exchange Management Act, 1999 and all the rules and regulations framed thereunder, as modified from time to time and any other enactment and/or rules and regulations issued by the Government or any other Statutory/Regulatory authority, in force, from time to time. Compliance with the said laws, rules and/or regulations will be the sole responsibility of the Card Holder.
- 2.2. The CARD may be used by the Card Holders going abroad within the foreign exchange entitlements as stipulated by RBI from time to time for all bonafide personal expenses, provided the total exchange drawn during the trip abroad does not exceed the entitlement. The Card Holder shall also get endorsed on his/ her passport for availing Foreign Exchange

under basic Travel Quota (BTQ). The entitlement of exchange should be ascertained from the branch where the account holder maintains the account or any other branch of the bank and a declaration in the format specified in Annexure I should be furnished prior to commencement of the travel abroad.

- 2.3. Use of the CARD for drawing cash and payment to the Merchant Establishments while on visits abroad is restricted to permissible current account transactions and the item-wise limits, if any, stipulated by RBI from time to time. Also, the CARD should not be used on the internet for the purchase of prohibited items like lottery tickets, banners or prescribed magazines, participation in sweepstakes, payment of call-back service etc. i.e. for such items/activities for which drawal of foreign exchange is not permitted. 2.4. Withdrawal of foreign currency using the CARD is not permitted in India, Nepal and Bhutan.
- 2.4. Use of the CARD for International transaction including but not limited to ATM, POS, online and contactless is restricted for NRO customers , and for retail customers who have not updated their PAN number with the Bank as per FEMA guidelines of RBI
  - 3. Acceptability
- 3.1. The CARD shall be acceptable for cash withdrawals at ATM/CRMs (as defined in para 1.2) and purchase at PMEs (as defined in para 1.3 above) which constitute the transaction set, in India and abroad, subject to the restrictions as stated in para 2 (1 to 4), limits mentioned in para 6 and availability of adequate credit balance in the Debit Card Linked Account specified in para 5. The Bank reserves the right to change the transaction set without any notice to the Card Holders. The CARD can also be used for enquiry about the balance in Debit Card Linked Account, requisition for the statement of account, request for issue of cheque books and such other facilities as the bank may decide to provide from time to time. Similarly, new facilities made available through the ATMs will be provided to customers at the discretion of the Bank.
  - 4. Eligibility

Selection of the eligible customers for the issue of the CARD is at the sole discretion of the Bank. No person is entitled to get a CSB DEBIT CARD unless specifically approved by the bank for the purpose.

5. Debit Card Linked Account

The CARD may be issued to an approved account holder against a Savings Bank Account or Current Account or any other type of account as designated by the Bank to be eligible account(s) for operations through the use of the CARD and referred to herein as Debit Card linked Account.. Joint Accounts will be treated as Debit Card linked Accounts (primary or secondary) only if payable to Either or Survivor, Anyone or Survivor.

- 6. Limits For Transactions
- 6.1. "At present, the transaction limits of the CARD are as per the account variant. This limit is subject to revision as may be displayed/ notified by the bank time-to-time

'To know more on your Debit Card spend limits' please refer our website www.csb.co.in>Rates & charges>Service Charges & Fees

Use of the CARD for transaction limits as above will be permitted in India or for the equivalent of that amount in foreign currency abroad, provided EMV/ chip cards should be used for transactions abroad."

- 6.2. Withdrawal of cash in foreign currency using the CARD (subject to restrictions stated in para 2) will be permitted for amounts not exceeding an aggregate of the equivalent of cash withdrawal limit as per the account variant or such amount permitted by the user machine, whichever is lower, per day, converted at the TT selling rate of Bank ruling at the time of such withdrawal.
- 6.3. Use of the CARD at participating merchant Establishment will be permitted for the amount not exceeding an aggregate of POS limit as per the account variant in India or for the equivalent of that amount in foreign currency abroad, per day.
- 6.4. Limits are as stated in para 6.1, 6.2 and 6.3 above are further subject to the availability of adequate credit balance in the Debit Card Account of the Card Holder. Also, the said limits are liable to be modified, as and when deemed necessary, at the discretion of the Bank.

- 6.5. The Card Holder is deemed to have explicitly understood and agreed that he/she will be allowed to withdraw/transact for only a certain amount per calendar day, as decided by the bank from time to time, irrespective of the credit balance in the account(s).
  - 7. Minimum Balance and Interest on Overdrawals
- 7.1. The Card Holder shall maintain, at all times, such minimum balance in his/her primary account, as the bank may decide from time to time, and the Bank may, at its discretion, levy such penal or service charges or other charges as per the Bank's rules from time to time, or withdraw or suspend the Debit Card facility, if at any point of time the amount of the deposit falls short of the required minimum as aforesaid, or otherwise for any reason without giving any prior notice to the Card Holder and/or without incurring any liability or responsibility whatsoever for such withdrawal or suspension.
- 7.2. In the event of the ATM account(s) being overdrawn the Card Holder shall be liable to pay interest at such rates as may be fixed by the bank from time to time, irrespective of the reason for such overdrawal.
  - 8. Fees and Charges
- 8.1. Issuance fee, re-issuance and annual renewal fee are payable by the Card Holder as fixed by the bank from time to time. Also, service charges for cash withdrawal and for non-funded services in India as well as abroad payable by the Card Holder will be fixed by the Bank according to the guidelines issued by the Reserve Bank of India.
- 8.2. Card holder closing their existing account having Debit Card , charges accounting to entire year's Debit card fees are payable by the Card Holder
- 8.3. All fees and service charges payable to the Card Holder on account of the CARD will be recovered by debiting the Card Holder's primary account. In case of insufficient balance in the Primary Account, the secondary account or another account of the Card Holder having sufficient balance will be debited.
  - 9. Non Transferability

The CARD is not transferable under any circumstances and shall be used only by the Card Holder.

10. Personal Identification Number

Each Card Holder shall be allotted a Personal Identification Number (PIN) to gain access to the ATM services. As a precaution, it is suggested that the Card Holder may change the PIN on the first access itself. The PIN shall under no circumstances be disclosed to any third party. The Card Holder shall be solely responsible for the consequences, if any arising out of the disclosure of his/her PIN and/or unauthorized use of the CARD. If the Card Holder forgets the PIN he/she may apply for a new one or generate a new one through ATM/CRM/Net Banking/Mobile Banking. The selection of a new PIN and or replacement of the CARD shall not be construed as the commencement of a new contract nor shall absolve the Card Holder from any liability incurred under or in respect of the PIN/ CARD so replaced. The bank shall have the right to levy necessary charges for the reissue of cards/PIN.

11. Loss/Theft of Cards

The Card Holder shall be responsible for the safe custody of the CARD. In case of loss or theft of the CARD, the Card Holder shall inform in writing about the loss to the branch which issued it or the IT department of the Bank, as early as possible. The Card Holder shall however be responsible and liable for all transactions effected by the use of the CARD until it is confiscated/ cancelled. Another CARD will be issued to the Card Holder, in lieu of lost/ stolen CARD upon request in writing and payment of such issue fees may be fixed by the Bank from time to time on such terms and conditions as the Bank may decide.

12. Failed and Disputed transaction:

Card holder whose transaction have been categorised as failed or unsuccessful transaction shall get the debited amount reversed to the account of origination within 6 days of transaction initiation, customer shall be compensated Rs 100 per day failing to get reversal back into its account. In case of unauthorized transactions observed on the

debit card or for any dispute observed for the transaction, the card holder shall raise it with the Bank within 45 days of initiation of transaction.

13. Authority to Debit the Debit Card Account

Under the terms of issue, Bank is authorized by the Card Holder to debit/credit the Debit Card Linked Account(s) with the amount of withdrawals, purchases, transfers, deposits, etc. effected by the use of the CARD as per the Bank's reports. The Bank's record for transactions processed by the ATM machines and Card Association terminals shall be conclusive and binding on all the joint account holders, jointly and severally.

14. Add-On Cards

Add-On Cards will be issued at the discretion of the Bank, to the person(s) authorized by the primary Card Holder upon specific request. This CARD can be used for all transactions as if in the case of primary CARD and on the same Debit Card Linked Account but with a separate card number and PIN. Fees and charges as stated in para 8 are payable for Add-On Card(s) also, in addition to that on primary cards. Limits for transactions stipulated in para 6 are applicable to both primary card and Add-On card(s) together. All transactions using the Add-On Card(s) and the fees and charges payable thereon will be debited to the Debit Card Linked Account of the primary Card Holder.

- 15. Contactless Cards
- 15.1 A contactless card is a chip card with an inbuilt radio frequency antenna. This antenna uses Near Field Communication (NFC) technology to establish a secure connection with a contactless reader to transmit payment-related data. Hence, a contactless card need not be in contact with the reader, a simple tap on the reader will initiate a transaction. Contactless is a Dual Interface card that supports both contact and contactless transactions, whereas a regular RuPay (EMV/Chip card) can only support Contact transactions
- 15.2 To know if the card is contactless, you need to check for the contactless indicator, published on its front.
- 15.3 The customer's contactless Debit Card has to be waved within 4 cm of the card reader for more than half a second and the retailer must have first entered the amount of the transaction. However, as contactless transactions up to RBI approved limits, do not require a PIN, customers are advised to take due care while using or carrying a contactless Debit Card.
- 16. Responsibility for all transactions processed through the ATM/CRM

Operations through the ATM/CRM facility on the Card Holder's ATM Account(s) can only be through the use of CSB DEBIT CARD on the ATM/CRM machine. The Card Holder shall in all circumstances accept full responsibility for all the transactions processed by the use of his/her CARD, whether or not processed with the Card Holder's knowledge or authority, express or implied. The printed output that is produced at the time of operation of the ATM shall not be construed as the bank's records. The bank's records of transactions shall be accepted as conclusive & binding for all purposes.

17. Closure of Debit Card Linked Accounts

If the Card Holder desires to close the Debit Card Linked Account(s) or withdraw any CARD linked deposit or even otherwise decides to terminate the use of the CARD facility, he/she shall furnish notice to that effect at least two days in advance and surrender the CARD to the Bank. All dues payable on account of the CARD should be paid in full before permitting closure of the account.

18. Change of Terms and Conditions

The Bank has absolute discretion to withdraw or suspend the CSB DEBIT CARD service or amend, delete or supplement any or all of the above terms and conditions at any time for any reason whatsoever without prior notice to the Card Holder(s).

## 19. Honoring the CARD

The Bank shall in no circumstances be held liable to the Card Holder if the CARD is not honoured in the desired manner for any reason whatsoever, or if the ATM/CRM is destroyed or not functioning due to Force Majeure or due to power failure, or any other reasons. The Bank will not be liable for any consequential loss or damage, direct or indirect, arising thereon.

## 20. Ownership of CSB DEBIT CARD

CSB DEBIT CARD shall be the property of the Bank and should be surrendered to the Bank on request or in the event of the Card Holder no longer requiring the service. The Bank reserves the right to disclose, in strict confidence, to other institutions, such information concerning the Card Holder's account as may be necessary or appropriate, in connection with its participation in any ATM/CRM or Electronic Fund Transfer Network.

## 21. Exclusion of Liability

- 21.1. The Bank will not be liable for effecting transactions instructions other than by a Card Holder or for misuse of the card due to the Card Holder's negligence, mistakes, dishonesty, misconduct, fraud or handing over the card to an unauthorized person.
- 21.2. The Bank will have the absolute right to suspend or withdraw the facility in the event of any misstatement, misrepresentation error or omission in any of the details disclosed to the Bank or detection of the same afterward without notice to the Card Holder(s).
  - 22. Unconditional Acceptance
- 22.1. These terms and conditions will be in addition to and not in derogation of those relating to any account and forms a contract between the Bank and the Card Holder. The Card Holder shall be deemed to have unconditionally agreed to and accepted the terms and conditions by signing the card application form and/ or acknowledging the receipt of the card in writing and/or signing the card on the reverse and/or performing a transaction with the card or after 10 days have elapsed since the date the card was dispatched to his/her address on the record of the Bank at the time of issue/ renewal/ replacement of the CARD.
- 22.2. The Bank reserves the right to revise policies, features and benefits offered on the card and alter these terms and conditions from time to time and notifications about any such alterations will be made through our Corporate Website (csb.co.in). The Card Holder will be bound by such alterations.

## 23. Settlement of Disputes

GOVERNING LAW AND JURISDICTION: Bank and Cardholder agree that any legal action or proceedings arising out of the Terms/card transactions shall be brought in the court or tribunal having jurisdiction over the card-issuing branch and irrevocably submit themselves to the jurisdiction of that court or tribunal. These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of India. Complaints if any are to be registered within the approved period from the date of the transaction.

Simple Tips to protect your account from online Fraud

- Memorize your PIN. Do not write it down anywhere.
- If your ATM card is lost or stolen, report it to our Phone Banking Team at 1800 266 9090(India) or 022-45393939 immediately.
- If your card gets stuck in the ATM, or if cash is not dispensed after you key in a transaction, call your bank immediately.
- Never allow anyone to stand near you or help you complete transactions while at an ATM.

- Kindly enable Debit Card for POS, Online and Contactless transactions as required through Internet Banking/Mobile Banking before transacting

Do not share Card credentials like Card number, CVV and OTP with anyone

- If you have any complaints about your ATM/Debit/Credit Card transaction at an ATM, please take it up with your Card issuing branch of the Bank/call center no 1800 266 9090(India) or 022-45393939.
- If you get a transaction slip, tear into pieces it immediately after use if not needed.
- Remember to take your card and cash with you. The cash retraction facility has been withdrawn.
- Do not conduct any transaction if you find any unusual device connected to your ATM.
- Change your ATM PIN number regularly.
- Do not disclose your ATM PIN details to anyone.
- The bank shall not be liable for any losses arising from your sharing/ disclosing of ATM-PIN, Login-ID, passwords to anyone.





## सीएसबी डेबिट कार्ड जारी करने और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली सबसे जरूरी शर्तें और नियम (एमआईटीसी)

## (ए) शुल्क और प्रभार (जीएसटी छोड़कर)

कार्ड के प्रकार	जॉइनिंग फीस	एएमसी*	ऐड-ऑन कार्ड #
वीजा क्लासिक	शून्य	₹250/-	₹300/-
वीजा प्लेटिनम	शून्य	₹500/-	₹300/-
वीजा सिग्नेचर	शून्य	₹900/-	₹300/-
रुपे पीएमजेडीवाई	शून्य	शून्य	₹300/-
रुपे क्लासिक	शून्य	₹250/-	₹300/-
रुपे प्लेटिनम	शून्य	₹500/-	₹300/-
वरिष्ठ नागरिक डेबिट कार्ड	शून्य	₹500/-	₹300/-
महिला शक्ति डेबिट कार्ड	शून्य	₹500/-	₹300/-
सैलरी डेबिट कार्ड [एचवी]	शून्य	₹500/-	₹300/-
प्लेटिनम मैक्स डेबिट कार्ड	शून्य	₹900/-	₹300/-

नकद निकासी की सीमा खाता किस प्रकार का है उसके अनुसार लागू होती हैं और इसमें बदलाव हो सकता है। मौजूदा सीमाओं के लिए कृपया देखें - https://www.csb.co.in/service-charges-and-fees

^निःशुल्क सीमा (लिमिट) खाते के प्रकार पर आधारित हैं \* बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित कुछ तरह के खातों पर एएमसी/डुप्लीकेट कार्ड के शुल्क में छूट दिया जाता है/कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. # ऐड-ऑन कार्ड केवल विशिष्ट खाता वर्गों के लिए उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां नवीनतम डेबिट कार्ड-खाता वेरिएंट मेट्रिक्स देखें https://www.csb.co.in/service-charges-and-fees

## (B) संपर्क

- प्रधान कार्यालय का पताः सीएसबी बैंक लिमिटेड, सीएसबी भवन, पो. ऑ. बॉक्स नंबर. 502, सेंट मैरी कॉलेज रोज, त्रिश्रर- 680 020, ईमेल आईडी: branchservice@csb.co.in
- एटीएम से जुड़े प्रश्नों के लिए: भारत में कहीं भी: 1800 266 9090 (टोल फ्री) भारत के बाहर:
- +91-422-6612300 (आईएसडी शुल्क लागू) ईमेल: customercare@csb.co.in

## (C) डेबिट कार्ड सरेंडर/बंद करने/ब्लॉक करने/खोने/चोरी/दुरुपयोग के लिए

- ग्राहक सेवा 24x7: भारत में कहीं भी: 1800 266 9090 (टोल फ्री) भारत के बाहर: +91- 422-6612300 (आईएसडी शुल्क लागू) ईमेल: customercare@csb.co.in
- कोई भी निकटतम सीएसबी शाखा

## (D) कार्डधारक का दायित्व

एक ग्राहक निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा;

 जहां नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण होता है, जैसे, जहां उसने भुगतान क्रेडेंशियल साझा किया है, ग्राहक को तब तक पूरा नुकसान उठाना होगा जब तक कि वह अनधिकृत ईबीटी की रिपोर्ट बैंक को नहीं करता है।

- ऐसे मामलों में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी न तो बैंक की है और न ही ग्राहक की है, बल्कि सिस्टम में कहीं और है और जब ग्राहक की ओर से ऐसे लेनदेन की सूचना बैंक को देने में देरी (बैंक से सूचना मिलने के बाद 4 से 7 कार्य दिवसों तक) होती है।
- बैंक, पिन जारी करते समय उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक रूप से सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा तथा किसी भी परिस्थिति में बैंक या उसका कोई प्रतिनिधि कार्डधारक के अलावा किसी अन्य को पिन नहीं बताएगा।

#### (E) शिकायत निवारण तंत्र/शिकायतें और विफल/अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग

- कृपया शिकायत निवारण केंद्रों की विस्तृत सूची और संपर्क ब्योरा के लिए https://www.csb.co.in-/complaintsredressal पर जाएं
- शिकायत निवारण के लिए समयसीमा आरबीआई सर्कुलर DPSS.CO.PD संख्या.629/02.01.014/2019-20 दिनांक
  20.09.2019 के अनुसार शिकायत निवारण किया जाता है। उपरोक्त आरबीआई सर्कुलर की दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी डेबिट कार्ड लेनदेन टी+5 के टीएटी (टर्नअराउंड टाइम) के भीतर निपटाए और सुलझा लिए जाते हैं।
- शिकायत के निवारण में देरी के लिए मुआवजा आरबीआई सर्कुलर के मुताबिक टी+5 के बाद सुलझाए गए सभी लेनदेन के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

#### (F) बीमा कवरेज

कोई भी बीमा कवरेज कार्ड नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाता है और यह संबंधित कार्ड नेटवर्क की शर्तों और नियमों से नियंत्रित होता है। कृपया अधिक जानकारी के लिए https://www.csb.co.in/csb-debit-cards पर जाएं।

#### (G) प्रकट करना/साझा करना

डेबिट कार्ड के उपयोग/बीमा के लिए एकत्र किए गए डेटा को बैंक या इसके अधिकारी द्वारा ग्राहक की पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी थर्ड पार्टी या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाता है।

## सीएसबी बैंक डेबिट कार्ड जारी करने और उपयोग की शर्तें और नियम

- 1. कुछ शब्दों के अर्थ:
- 1.1. "बैंक" शब्द का अर्थ "सीएसबी बैंक लिमिटेड" है, और डेबिट कार्ड, जिसे यहां से आगे कार्ड कहा गया है, बैंक द्वारा अनुमोदित खाता धारक को जारी किया गया कार्ड है, जो बैंक द्वारा अनुमोदित खाताधारक को एटीएम/सीआरएम मशीन/टीकार्ड टर्मिनलों के इस्तेमाल करने के लिए "ऐड ऑन कार्ड" (जिसका पैरा 13 में खास तौर पर उल्लेख है) समेत जारी किए गए कार्ड का उल्लेख करता है, और "कार्ड धारक" शब्द बैंक द्वारा अधिकृत डेबिट कार्ड के उपयोगकर्ता का संदर्भ देता है।
- 1.2. एटीएम/सीआरएम में बैंक के स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), कैश रीसाइकिल मशीन (सीआरएम) और अन्य बैंकों के एटीएम/सीआरएम शामिल हैं जो कार्ड एसोसिएशन के साझा भुगतान नेटवर्क से जुड़े हैं और इन पर कार्ड एसोसिएशन का लोगो दिखता है, इसमें नेशनल फाइनैंशियल स्विच (एनएफएस) नेटवर्क के सदस्य बैंक भी हैं जो 'कार्ड एसोसिएशन' का लोगो प्रदर्शित करते हैं, और अन्य सदस्य बैंक जो किसी अन्य साझा भुगतान प्रणाली (एसपीएनएस) का हिस्सा हैं, भविष्य में इसमें बैंक या किसी अन्य बैंक(कों) या अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय साझा भुगतान प्रणाली के साथ किए जाने वाले गठजोड़ भी शामिल होंगे।
- 1.3. भागीदार व्यापारिक प्रतिष्ठान (पीएमई) का तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठानों से है जो कार्ड एसोसिएशन के साझा भुगतान नेटवर्क का हिस्सा हैं और लेनदेन की शर्तों के अनुसार कार्ड एसोसिएशन टर्मिनलों पर कार्ड को मान्यता देने के लिए इन पर "कार्ड एसोसिएशन" का लोगो बना होता है और इसमें कार्ड की मान्यता के अनुसार विज्ञापित स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, होटल, एयरलाइंस और संस्थाएं शामिल होंगी।
- 1.4. "कार्ड एसोसिएशन टर्मिनल" में सहभागी व्यापारिक प्रतिष्ठानों (पीएमई) के लोकेशन पर सभी सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण शामिल हैं, जो कार्ड धारक के लेनदेन को प्रोसेस करने, डिवाइस को चलाने के लिए जरूरी हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर (ईडीसी) टर्मिनल, प्रिंटर, व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) पैड आदि शामिल हैं।
- 1.5. नेशनल फाइनैंशियल स्विच (एनएफएस) इसमें बैंक के स्विच और उनके एटीएम और अंतर-बैंक भुगतान गेटवे के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नेशनल स्विच शामिल है, जो विभिन्न ई-कॉमर्स लेनदेन, ई-गर्वनर्मेंट गतिविधियों आदि के भुगतान विवरण के प्रमाणीकरण और रूटिंग के लिए है।
- 1.6. साझा भुगतान नेटवर्क प्रणाली (एसपीएनएस) विभिन्न बैंकों के एटीएम, कैश डिस्पेंसर का एक बड़ा नेटवर्क जो पूरे देश में फैला है। साझा भुगतान नेटवर्क प्रणाली बनाने के पीछे का उद्देश्य विभिन्न भागीदार बैंकों द्वारा साझा की जाने वाली अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से देश में कहीं भी ग्राहक को 24 घंटे, साल के 365 दिन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा प्रदान करना है।
- 1.7. इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर (ईडीसी) टर्मिनल: एक पॉइंट-ऑफ-सेल डिवाइस जो बैंककार्ड की चुंबकीय पट्टी (मैग्नेटिक स्ट्रिप) में एन्कोड की गई जानकारी को पढ़ता है। अनुमति देने का कार्य करता है, लेनदेन डेटा एकत्र करता है, और उसे बैच एवं प्रोसेस कर के डेटा एकत्र करने वाले तक पहुंचाता है। इकट्ठा किए गए लेनदेन का उपयोग निपटान फाइलें और लेनदेन रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है।
- 1.8. पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल: भारत या विदेश में एमई पर पीओएस इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, जो कार्ड लेनदेन की प्रक्रिया करने में सक्षम है और जिस पर कार्ड धारक अपने बैंक से जुड़े संबंधित खाते से डेबिट कर के कार्ड का इस्तेमाल खरीदारी के लिए कर सकता है।
- 1.9. ऐड-ऑन कार्ड: ऐड-ऑन कार्ड: यह कार्ड, मुख्य कार्ड के सहायक के रूप में होता है। हालांकि, कोई भी देनदारी मूल कार्डधारक पर आती है।
- 1.10. बेसिक ट्रैवल कोटा (बीटीक्यू) इस योजना के तहत विदेश यात्रा करने के इच्छुक निवासियों को विदेशी मुद्रा विनिमय जारी की जाती है।
  - 2. वैधानिक और अनिवार्य प्रतिबंध
- 2.1 इस कार्ड जारी करना और उसका इस्तेमाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले सभी नियमों और कानूनों, और सरकार या किसी

अन्य वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किसी अन्य अधिनियम और/या नियमों और कानूनों के अधीन होगा, जो समय-समय पर प्रभावी होते हैं। उल्लिखित कानूनों, नियमों और/या विनियमों का अनुपालन केवल कार्ड धारक की जिम्मेदारी होगी।

- 2.2 इस कार्ड का उपयोग कार्डधारक अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय समय पर निर्धारित विदेशी मुद्रा विनिमय के अधिकार के तहत सभी वास्तविक व्यक्तिगत खर्चों के लिए कर सकता है, बर्शते कि विदेश यात्रा के दौरान निकाला गया कुल विनिमय अधिकार सीमा से अधिक न हो। कार्डधारक को बेसिक ट्रैवल कोटा (बीटीक्यू) के तहत विदेशी मुद्रा विनिमय प्राप्त करने के लिए अपने पासपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाना होगा। विनिमय की पात्रता उस शाखा से पता की जानी चाहिए जहां खाता धारक का अपना खाता है या बैंक की किसी अन्य शाखा से, और अनुबंध-। में दिए गए प्रारूप में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 2.3 विदेश यात्रा के दौरान कार्ड का उपयोग, नकद निकालने और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भुगतान करने के लिए केवल अनुमति प्राप्त चालू खाता लेनदेन की सीमा और आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित, अगर कोई हो तो, आइटम के मुताबिक सीमा तक ही सीमित रहेगा। साथ ही, इंटरनेट पर कार्ड का इस्तेमाल प्रतिबंधित वस्तुओं, जैसे कि लॉटरी टिकट, बैनर या कुछ निर्धारित मैगजीन, स्वीपस्टेक (एक प्रकार के जुआ) में भाग लेने, कॉल-बैक सर्विस आदि के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यानी ऐसी वस्तुओं/गतिविधियों के लिए जिनके लिए विदेशी मुद्रा विनिमय की अनुमति नहीं है। 2.4. भारत, नेपाल और भूटान में कार्ड का उपयोग करके विदेशी मुद्रा निकालने की अनुमति नहीं है।
- 2.4 अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड का इस्तेमाल उन एनआरओ ग्राहकों और खुदरा ग्राहकों के लिए प्रतिबंधित है जिन्होंने अपने पैन नंबर को आरबीआई के फेमा गाइडलाइन के अनुसार बैंक के साथ अपडेट नहीं किया है, इसमें एटीएम, पीओएस, ऑनलाइन और कांटेक्टलेस भी शामिल हैं।

3. स्वीकृति

3.1 कार्ड को भारत और विदेशों में एटीएम/सीआरएम (जो पैरा 1.2 में परिभाषित है) से नकद निकासी और पीएमई (जो पैरा 1.3 में परिभाषित है) पर खरीदारी के लिए स्वीकार किया जाएगा, जो ट्रांजेक्शन सेट का हिस्सा हैं, जो कि पैरा 2 (1 से 4) में बताए गए प्रतिबंधों, पैरा 6 में वर्णित सीमाओं और पैरा 5 में निर्दिष्ट डेबिट कार्ड से जुड़े खाते में पर्याप्त क्रेडिट बैलेंस की उपलब्धता के अधीन हैं। बैंक के पास कार्ड धारकों को बिना किसी सूचना के लेनदेन सेट में बदलाव करने का अधिकार है। कार्ड का उपयोग डेबिट कार्ड से जुड़े खाते में बैलेंस की जांच करने, खाता विवरण की मांग करने, चेकबुक के लिए अनुरोध करने और बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदान की जाने वाली ऐसी ही अन्य सुविधाओं के लिए भी किया जा सकता है। वैसे ही, एटीएम के जरिए ग्राहकों को दी जाने वाली नई सुविधाएं बैंक के विवेक पर प्रदान की जाएंगी।

4. योग्यता

कार्ड जारी करने के लिए योग्य ग्राहकों का चयन बैंक के विवेक पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति सीएसबी डेबिट कार्ड प्राप्त करने का हकदार तब तक नहीं है जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बैंक की ओर से विशेष रूप से स्वीकृति न दी गई हो।

5. डेबिट कार्ड से जुड़ा खाता

कार्ड एक स्वीकृत खाताधारक को बचत बैंक खाता या चालू खाता या किसी अन्य प्रकार के खाते के सहारे जारी किया जा सकता है, जिसे बैंक द्वारा कार्ड के इस्तेमाल से संचालन के लिए योग्य खाता नामित किया गया हो और जिसे यहां डेबिट कार्ड से जुड़े खाते के रूप में संदर्भित किया गया है। संयुक्त खाते (जॉइंट अकाउंट) को डेबिट कार्ड से जुड़े खाते (प्राथमिक या माध्यमिक) के रूप में तभी माना जाएगा, जब वे किसी एक या उत्तरजीवी (सर्वाइवर), किसी भी या उत्तरजीवी को देय हों।

- 6. लेनदेन की सीमाएं
- 6.1. "वर्तमान में, किसी कार्ड की लेनदेन की सीमाएं उससे संबंधित खाते के प्रकार (वैरिएंट) पर निर्भर है। यह सीमा समय-समय पर बैंक द्वारा दर्शाए गए/अधिसूचित किए गए संशोधन के अधीन है।

'अपने डेबिट कार्ड की खर्च सीमा के बारे में अधिक जानने के लिए' कृपया हमारी वेबसाइट www.csb.co.in> दरें और शुल्क> सेवा शुल्क और फीस, देखें

उपरोक्त लेनदेन सीमा के अनुसार भारत में कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी या उतनी ही राशि के समान विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल की अनुमति विदेश में दी जाएगी, बर्शते कि विदेश में लेनदेन में ईएमवी/चिप कार्ड का इस्तेमाल किया जाए।"

- 6.2. कार्ड का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में नकदी की निकासी की (पैरा 2 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन) अनुमति दी जाएगी, जो खाता प्रकार के अनुसार नकद निकासी सीमा के समतुल्य कुल राशि से अधिक नहीं होगी या उपयोगकर्ता मशीन द्वारा अनुमत ऐसी राशि, जो भी कम हो, प्रति दिन, ऐसी निकासी के समय बैंक के टीटी सेलिंग रेट पर बदली जाएगी।
- 6.3. जुड़े हुए व्यापारी प्रतिष्ठानों पर कार्ड का उपयोग भारत में खाता के प्रकार के मुताबिक पीओएस सीमा की कुल राशि से अधिक नहीं होगी तो विदेशों में भी प्रति दिन उसी सीमा राशि के बराबर विदेशी मुद्रा की अनुमति होगी।
- 6.4. इसके अलावा ऊपर पैरा 6.1, 6.2 और 6.3 में बताई गई सीमाएं कार्ड धारक के डेबिट कार्ड खाते में पर्याप्त क्रेडिट शेष की उपलब्धता के अधीन हैं। साथ ही, बैंक के विवेक पर, जब भी जरूरी समझा जाएगा, उक्त सीमाएं संशोधित की जा सकती हैं।
- 6.5. ऐसा माना जाता है कि कार्ड धारक ने इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया है और वह सहमत है कि उसे प्रति कैलेंडर दिवस में केवल एक निश्चित राशि निकालने/लेनदेन करने की अनुमति होगी, जैसा कि समय-समय पर बैंक तय करेगा, चाहे उसके खाते में बैलेंस कुछ भी हो।
  - 7. न्यूनतम जमा राशि और अधिक निकासी पर ब्याज
- 7.1. कार्ड धारक को अपने प्राथमिक खाते में हर समय वह न्यूनतम शेष राशि (बैलेंस) जमा रखनी होगी, जिसे समय-समय पर बैंक द्वारा तय किया जा सकता है, और अगर किसी भी समय जमा राशि किसी भी कारण से बताए गए आवश्यक न्यूनतम से कम हो जाती है तो कार्ड धारक को कोई पूर्व सूचना दिए बिना और/या ऐसी निकासी या निलंबन के लिए किसी भी दायित्व या जिम्मेदारी के बिना बैंक अपने विवेक से समय-समय पर बैंक के नियमों के अनुसार दंड स्वरूप या सेवा शुल्क या अन्य शुल्क या डेबिट कार्ड सुविधा को वापस ले सकता है या निलंबित कर सकता है।
- 7.2. एटीएम खाते (खातों) से अधिक राशि निकाले जाने की स्थिति में कार्ड धारक उन ब्याज दरों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो बैंक समय-समय पर तय कर सकता है, चाहे अधिक राशि निकाले जाने की वजह कुछ भी हो।
  - 8. शुल्क और प्रभार
- 8.1. बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्ड जारी करने का शुल्क, इसे पुनः जारी करने का शुल्क और वार्षिक नवीकरण शुल्क, कार्ड धारक के द्वारा भुगतान किए जाएंगे। इसके अलावा, नकद निकासी और भारत एवं विदेशों में कार्ड धारक द्वारा गैर वित्त पोषित सेवाओं के लिए सेवा शुल्क, जो कार्डधारक द्वारा देय होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- 8.2. जो कार्ड धारक अपने डेबिट कार्ड वाले मौजूदा खाते को बंद करते हैं उन कार्ड धारकों को पूरे वर्ष के डेबिट कार्ड शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 8.3. कार्ड के कारण कार्ड धारक पर देय सभी शुल्क और सेवा शुल्क, कार्ड धारक के प्राथमिक खाते से डेबिट कर के वसूले जाएंगे। अगर प्राथमिक खाते में मौजूदा राशि पर्याप्त नहीं हुए तो, सेकेंडरी अकाउंट या कार्ड धारक के पर्याप्त शेष राशि वाले खाते से डेबिट किए जाएंगे।
  - 9. नॉन-ट्रांसफरेबलिटी (हस्तांतरित किए जाने में सक्षम नहीं होना)

कार्ड किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है और इसका उपयोग केवल कार्ड धारक द्वारा ही किया जाएगा।

10. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन)

प्रत्येक कार्ड धारक को एटीएम सेवाओं की सुविधा हासिल करने के लिए एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) आवंटित की जाएगी। एहतियात के तौर पर, कार्ड धारकों को पहली बार इस्तेमाल के दौरान ही पिन को बदलने का सुझाव दिया जाता है। पिन किसी भी परिस्थिति में किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाए। कार्ड धारक अपने पिन को बताने और/या कार्ड के अनधिकृत उपयोग से पैदा हुए परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। अगर कार्ड धारक पिन भूल जाता है तो वह नए पिन के लिए आवेदन कर सकता है या एटीएम/सीआरएम/नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नया पिन जनरेट कर सकता है। नए पिन का चयन और/या कार्ड के बदलने को नए अनुबंध की शुरुआत नहीं माना जाएगा और न ही कार्ड धारक को इस तरह से बदले गए पिन/कार्ड के तहत या उसके संबंध में होने वाले किसी भी देयता से छूट दिया जाएगा। बैंक को कार्ड/पिन के पुनः जारी करने के लिए आवश्यक शुल्क लगाने का अधिकार होगा।.

#### 11. कार्ड का गुम/चोरी हो जाना

कार्ड के सुरक्षित देखभाल की जिम्मेदारी कार्ड धारक पर होगी। कार्ड के गुम हो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, कार्ड धारक को इसे जारी करने वाली शाखा या बैंक के आईटी विभाग को जल्द से जल्द लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। हालांकि, कार्ड धारक कार्ड के जब्त/रद्द होने तक इसके इस्तेमाल से होने वाले सभी लेनदेन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। लिखित अनुरोध पर खोए/चोरी हुए कार्ड के बदले में कार्ड धारक को दूसरा कार्ड जारी किया जाएगा और इसे जारी किए जाने के शुल्क का निर्धारण बैंक द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है।

### 12. विफल और विवादित लेनदेन:

जिस कार्ड धारक का लेनदेन विफल या असफल लेनदेन के रूप में चिह्नित किया गया हो, उस लेनदेन के 6 दिनों के भीतर डेबिट की गई राशि उसके मूल खाते में वापस कर दी जाएगी, ग्राहक के खाते में उस रकम के नहीं आने पर 100 रुपये प्रति दिन मुआवजा दिया जाएगा। डेबिट कार्ड पर अनधिकृत लेनदेन के मामले में या लेनदेन के लिए किसी विवाद के मामले में, कार्ड धारक को लेनदेन शुरू होने के 45 दिनों के भीतर इसे बैंक के समक्ष उठाना होगा।

## 13. डेबिट कार्ड खाते से डेबिट करने का अधिकार

जारी किए जाने की शर्तों के तहत, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक कार्ड धारक द्वारा कार्ड के उपयोग से होने वाली निकासी, खरीद, हस्तांतरण, जमा, आदि की राशि डेबिट/क्रेडिट करने के लिए अधिकृत है। एटीएम मशीनों और कार्ड एसोसिएशन टर्मिनलों द्वारा प्रोसेस किए गए लेनदेन के लिए बैंक का रिकॉर्ड सभी संयुक्त खाताधारकों पर संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

## 14. ऐड ऑन कार्ड

ऐड-ऑन कार्ड बैंक की विवेकाधीनता पर जारी किए जाएंगे, जो प्राथमिक कार्डधारक के विशिष्ट अनुरोध पर अधिकृत व्यक्ति(यों) को दिए जाएंगे। इस कार्ड का उपयोग सभी लेन-देन के लिए प्राथमिक कार्ड के समान किया जा सकता है और यह उसी डेबिट कार्ड लिंक्ड अकाउंट पर होगा, लेकिन इसका एक अलग कार्ड नंबर और पिन होगा। पैरा 8 में बताए गए शुल्क और चार्जेस एड-ऑन कार्ड (कार्डों) के लिए भी देय होंगे, जो प्राथमिक कार्ड पर देय शुल्क के अतिरिक्त होंगे। पैरा 6 में निर्धारित लेन-देन की सीमाएं प्राथमिक कार्ड और एड-ऑन कार्ड (कार्डों) दोनों पर समान रूप से लागू होंगी। एड-ऑन कार्ड (कार्डों) का उपयोग करके सभी लेन-देन और उस पर देय शुल्क एवं प्रभार को प्राथमिक कार्डधारक के डेबिट कार्ड से जुड़े खाते से डेबिट किया जाएगा।

### 15. संपर्क रहित कार्ड (कॉन्टैक्टलेस कार्ड)

- 15.1संपर्क रहित कार्ड (कॉन्टैक्टलेस कार्ड) एक चिप कार्ड होता है जिसमें एक रेडियो फ्रीकेंसी एंटीना इनबिल्ट (पहले से लगाया गया) होता है। यह एंटीना भुगतान से संबंधित डेटा संचारित करने के लिए कॉन्टैक्टलेस रीडर के साथ सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करता है। इसलिए, कॉन्टैक्टलेस कार्ड को रीडर के संपर्क में रहने की जरूरत नहीं होती है, रीडर पर सिर्फ एक टैप से ही लेनदेन शुरू हो जाएगा। कॉन्टैक्टलेस एक डुअल इंटरफेस कार्ड है जो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस दोनों तरह के लेनदेन को सपोर्ट करता है, जबकि एक नियमित रुपे (ईएमवी/चिप कार्ड) केवल कॉन्टैक्ट लेनदेन को सपोर्ट कर सकता है।
- 15.2 यह जानने के लिए कि कार्ड कॉन्टैक्टलेस है या नहीं, आपको इसके सामने वाले भाग पर छपे कॉन्टैक्टलेस इंडिकेटर की जांच करनी होगी।
- 15.3 ग्राहक के कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को कार्ड रीडर के 4 सेंटीमीटर के पास आधे सेकंड से अधिक समय तक दिखाना होगा और रिटेलर को इससे पहले ही लेनदेन की राशि दर्ज करनी होगी। हालांकि, आरबीआई द्वारा स्वीकृत सीमा तक कॉन्टैक्टलेस लेनदेन के लिए पिन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ग्राहकों को अपने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय या उसे साथ रखते समय उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

#### 16. एटीएम/सीआरएम के जरिए प्रोसेस की गई सभी लेनदेन की जिम्मेदारी

कार्ड धारक के एटीएम खाते पर एटीएम/सीआरएम सुविधा के माध्यम से ऑपरेशन केवल एटीएम/सीआरएम मशीन पर सीएसबी डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है। कार्ड धारक को सभी परिस्थितियों में अपने कार्ड के उपयोग से प्रोसेस किए गए सभी लेनदेन के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, चाहे वह कार्ड धारक की जानकारी या उसके अधिकार या अभिव्यक्ति या सूचना से न की गई हो। एटीएम के ऑपरेशन के समय प्रिंट किया गया आउटपुट बैंक के रिकॉर्ड के रूप में योग्य नहीं होगा। लेनदेन के बैंक के रिकॉर्ड को सभी उद्देश्यों के लिए निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा।

## 17. डेबिट कार्ड से जुड़े खाते को बंद करना

यदि कार्ड धारक डेबिट कार्ड से जुड़े खाते को बंद करना चाहता है या कार्ड से जुड़ी जमा राशि निकालना चाहता है या फिर कार्ड सुविधा का उपयोग बंद करने का निर्णय लेता है, तो उसे कम से कम दो दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी और कार्ड को बैंक में सौंप देना होगा। खाता बंद करने की अनुमति देने से पहले कार्ड पर देय सभी बकाया राशि का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए।

18. नियम एवं शर्तों में बदलाव

बैंक को कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय किसी भी कारण से सीएसबी डेबिट कार्ड सेवा को वापस लेने या निलंबित करने या उपरोक्त नियमों और शर्तों में से किसी एक या सभी को संशोधित करने, हटाने या पूरक (सप्लीमेंट) करने का पूर्ण विवेकाधिकार है।

19. कार्ड से लेनदेन को मान्यता देना

यदि किसी भी कारण से कार्ड के लेनदेन को मान्यता नहीं दिया जाता है, या अप्रत्याशित घटना की वजह या बिजली की विफलता, या किसी अन्य कारण से एटीएम/सीआरएम नष्ट हो गया हो या काम नहीं कर रहा है, तो बैंक किसी भी परिस्थिति में कार्ड धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक इससे उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।.

#### 20. सीएसबी डेबिट कार्ड का स्वामित्व

सीएसबी डेबिट कार्ड बैंक की संपत्ति होगी और अनुरोध पर या कार्ड धारक को अब सेवा की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में बैंक को वापस सौंप देना चाहिए। बैंक किसी भी एटीएम/सीआरएम या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में अपनी भागीदारी के संबंध में, कार्ड धारक के खाते से संबंधित ऐसी जानकारी, जो जरूरी या उचित हो, अन्य संस्थानों को पूरी गोपनीयता के साथ प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- 21. देनदारी को छोड़ना
- 21.1. कार्ड धारक के अलावा किसी अन्य लेनदेन के निर्देशों को लागू करने या कार्ड धारक की लापरवाही, गलतियों, बेईमानी, कदाचार, धोखाधड़ी या कार्ड को किसी अनधिकृत व्यक्ति को सौंपने से होने वाले कार्ड के दुरुपयोग के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- 21.2. बैंक के पास यह पूरा अधिकार होगा कि वह बैंक को बताए गए किसी भी गलत विवरण, गलतबयानी, त्रुटि या चूक पाए जाने पर या बाद में इसका पता चलने पर कार्डधारक को कोई सूचना दिए बिना प्रदान की गई सुविधा को निलंबित कर सकता है या वापस ले सकता है।
  - 22. बिना शर्त स्वीकार किया जाना
- 22.1. ये नियम और शर्तें किसी भी खाते से संबंधित नियमों और शर्तों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनके विपरीत और बैंक एवं कार्ड धारक के बीच अनुबंध बनाती हैं। कार्ड धारक को कार्ड आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने और/या लिखित रूप में कार्ड की रसीद स्वीकार करने और/या कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने और/या कार्ड के साथ लेनदेन करने या कार्ड जारी करने/नवीकरण/बदलने के समय बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज उसके पते पर कार्ड भेजे जाने की तारीख से 10 दिन बीत जाने के बाद नियमों और शर्तों से बिना शर्त सहमत और स्वीकार किया गया माना जाएगा।

- 22.2. बैंक के पास कार्ड पर दी जाने वाली नीतियों, सुविधाओं और लाभों को संशोधित करने और इन नियमों और शर्तों को समय-समय पर बदलने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे किसी भी बदलाव के बारे में सूचनाएं हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट (csb.co.in) के माध्यम से दी जाएंगी। कार्ड धारक ऐसे बदलावों को मानने के लिए बाध्य होगा।
  - 23. विवादों का निपटान अधिशासित कानून और अधिकार क्षेत्र: बैंक और कार्डधारक सहमत हैं कि शर्तों/कार्ड लेनदेन से उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही कार्ड जारी करने वाली शाखा पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय या न्यायाधिकरण में लाई जाएगी और अपरिवर्तनीय रूप से खुद को उस न्यायालय या न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करेगी। ये शर्तें भारत के कानूनों के अनुसार विशेष रूप से शासित और समझी जाएंगी। यदि कोई शिकायत हो तो उसे लेनदेन की तारीख से स्वीकृत अवधि के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए।

. ऑनलाइन धोखाधड़ी से अपने खाते को सुरक्षित रखने के लिए सरल सुझाव

- .अपना पिन याद कर लें। इसे कहीं भी लिखकर न रखें।
- -अगर आपका एटीएम कार्ड गुम या चोरी हो गया है, तो इसकी सूचना तुरंत हमारी फोन बैंकिंग टीम को 1800 266 9090 (भारत) या 022- 45393939 पर दें।
- -अगर आपका कार्ड एटीएम में फंस गया है, या किसी लेनदेन में एटीएम से नकदी नहीं निकलती तो बैंक से तुरंत संपर्क करें।
- .एटीएम पर किसी को भी अपने पास खड़े होने या लेनदेन पूरा करने में मदद करने की अनुमति न दें।
- -कृपया लेनदेन से पहले इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के जरिए आवश्यकतानुसार पीओएस, ऑनलाइन और संपर्क रहित लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड को सक्षम करें
- .कार्ड नंबर, सीवीवी और ओटीपी जैसे कार्ड क्रेडेंशियल किसी के साथ साझा न करें
- -अगर आपको एटीएम पर अपने एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेनदेन के बारे में कोई शिकायत है, तो कृपया इसे अपने बैंक की कार्ड जारी करने वाली शाखा/कॉल सेंटर नंबर 1800 266 9090 (भारत) या 022-45393939 पर बताएं।
- -अगर आपको लेनदेन की पर्ची मिलती है, और यदि आपको उसकी जरूरत न हो तो इस्तेमाल के तुरंत बाद उसके टुकड़े कर दें।
- .अपना कार्ड और नकदी अपने साथ ले जाना न भूलें। नकदी वापसी की सुविधा समाप्त कर दी गई है।
- .अगर आपको अपने एटीएम से कोई असामान्य उपकरण जुड़ा हुआ मिले तो कोई भी लेनदेन न करें।
- .अपना एटीएम पिन नंबर नियमित रूप से बदलते रहें।
- .अपना एटीएम पिन विवरण किसी को भी न बताएं।
- -एटीएम-पिन, लॉगिन-आईडी, पासवर्ड किसी के साथ साझा करने/प्रकट करने के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।



www.csb.co.in **ि** ② **२ २** सीएसबी बैंक लिमिटेड सीएसबी बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: सीएसबी भवन, पोस्ट बॉक्स नं: 502, सेंट मैरी कॉलेज रोड, त्रिशूर, केरल 680 020 | 24x7 टोल-फ्री: 1800 266 9090 ई-मेल: customercare@csb.co.in | सीआईएन: L65191KL1920PLC000175